

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रक्रिया- 3054-4 (मुं)-3054-04-41/2019 3052

/पटना, दिनांक-24/3/2019

संजय कुमार, जयपुरी
अपर सचिव।

सीमा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदार)
बिहार, पटना।

विषय-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-37 अंतर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सड़क उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रथ रथारथ तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रथ रथारथ व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुदान ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अंतर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सड़क उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रथ रथारथ तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रथ रथारथ व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुदान ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथदार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

Sl. No.	Name of Division	Block	Name of Road	Length (in KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Removal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	Sonepur	Darapur	Dighwara Road - Darapur	2.500	61.14700	30.54700	6.11470	97.80870
2	Sonepur	Darapur	Khupri to Dighwara via Mahabubpur	2.700	63.90700	30.25700	6.39070	100.55470
3	Sonepur	Darapur	Dighwara Road To Purnea Majura	4.700	106.71800	53.27800	10.67180	170.66480
4	Sonepur	Parsa	Dighwara P. S. Road To Purnea	1.300	41.35200	17.21300	4.13520	62.69520
5	Sonepur	Parsa	Sonepur P. S. Road To Dighwara (Upto Sugam Road 814)	6.750	290.00000	81.24500	29.00000	400.24500
6	Sonepur	Dighwara	Bodhi chakra to Purnea	1.800	61.69300	19.42400	6.16930	87.28630
7	Sonepur	Dighwara	Mahabubpur - Kurek Road	3.650	79.29100	37.80200	7.92910	125.00210
8	Sonepur	Dighwara	Purnea to Purnea	1.300	37.00400	13.15100	3.70040	53.85540
9	Sonepur	Dighwara	NH-19 - Dighwara	2.900	71.63000	35.77700	7.16300	114.56700
10	Sonepur	Dighwara	NH-19 - Mahabubpur	5.180	126.67700	60.62300	12.66770	199.92700
11	Sonepur	Sonepur	NH-19 Telephone Exchange Dighwara to Mahabubpur	2.000	47.91600	23.12000	4.79160	75.82760
12	Sonepur	Sonepur	PWD Road To Mahabubpur	6.550	127.23600	53.58800	12.72360	193.54760
13	Sonepur	Sonepur	NH-19 To Apsak	4.000	79.19600	32.80200	7.91960	119.92200
Total				46.520	1194.52400	491.45100	119.45240	1805.52740

2- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमुख, सौरभ योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि समर्थन के

- विशेषज्ञों/विशेषज्ञों के अनुसार कार्यवाही के माध्यम से कार्यवाही पूर्ण सुनिश्चित किया जायेगा।
3. बिहार ग्रामीण एवं अनुसूचित भूमि-2018 को समस्त MHA आधारित ई-निविदा से आवेदनित कार्य एवं सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
 4. इन योजनाओं के समस्त प्रस्ताव पर प्राथमिक पत्र, प्राथमिक कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संख्या-गु030-4 (गु0)-3054-04-04/2019 में दिनांक 01.08.2019 को प्राप्त है।
 5. शास्त्री में अंकित समस्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार संचित महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-03.07.2019 को संचिका संख्या-गु030-4 (गु0)-3054-04-04/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
 6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व सी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
 7. योजनाओं की राशियों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुसूचित कार्यक्रम से अंतर्गत नहीं हो।
 9. संबंधित योजना U/SRI केंद्रों के अंतर्गत चिह्नित नहीं हो। यदि चिह्नित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
 10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशियों के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
 11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निर्देशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के अन्तर्गत पर ध्यान की जायेगी।
 12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
 13. प्रावधान की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि में अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
 14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
 15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों द्वारा प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-संगत तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
 16. स्वीकृतिप्राप्त प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-गु030-4 (गु0)-3054-04-94/2019 के पृ0-13 /टि0 पर दिनांक-19.9.19 को प्राप्त है।

विश्वरूपभाजन

23/9/19
(संजय कुमार)

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-94/2019 5/38/पटना, दिनांक-24/9/19
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/19
अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-94/2019 5/38/पटना, दिनांक-24/9/19

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, छपरा/उप विकास आयुक्त, छपरा/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव वजेट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/9/19
अपर सचिव

8